कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक 782 /5-6 14-1 दिनांक, कानपुर, सितम्बर, 06 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ

विषयः– कानपुर में उ0प्र0 जल निगम द्वारा विधूना कैंनाल से घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तक पानी ले जाने हेतु एन0एच0–86 के किनारे किमी0 20.800 से 61.900 तक पाइप लाईन डालने हेतु 14.385 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ– आपकी पत्र संख्या–292/ कानपुर/34211/2018 दिनांक 06.08.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में मॉगी गयी वॉछित आपत्तियों की बिन्दुवार आख्या, संशोधित प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानकी वन प्रभाग कानपुर ने अपने पत्रांक 756/14–1 दिनांक 04.09.2018 द्वारा उपलब्ध कराया है, जिसे निर्धारित प्रारूप में भरकर कर एवं संशोधित प्रस्ताव की तीन पत्रावलियां मूल में संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क0 स0	आपत्ति	निराकरण
1	ऑनलाइन पार्ट–1 की संशोधित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नही की गयी है।	ऑनलाइन पार्ट–1 को संशोधित कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र पर परियोजना से प्रभावित वृक्षों व पौधो का उल्लेख अंकित नही किया गया है तथा प्रयोक्ता ऐंजेसी के अधिकृत अधिकारी के मूल हस्ताक्षर व दिनांक अंकित नही है। संशोधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में बाधक वृक्षों को अंकित करते हुए संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है, तथा ऑनलाइन अपलोड भी कर दिया गया है।
3	ऑनलाइन पार्ट–2 में बाधक 1258 वृक्षों का विवरण अपलोड है। पृष्ठ– 30 पर अंकित सूचना के अनुसार 1428 ब्रिकगार्ड पौधो का विवरण ऑनलाइन अपलोड नही है।	ऑनलाइन पार्ट–2 में ब्रिकगार्ड पौधो को ऑनलाइन अपलोड करते हुए संशोधित पार्ट–2 प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
4	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 स्केल के सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट पर चिन्हित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न नही किया गया है।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 स्केल के सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट पर चिन्हित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव के पृष्ठ–89 पर संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण की वचनबद्धता पर प्रयोक्ता एजेंसी के अधिकृत अधिकारी के मूल हस्ताक्षर अंकित नही है।	क्षतिपूरक वनीकरण की वचनबद्धता प्रमाण पत्र में प्रयोक्ता एजेंसी के अधिकृत अधिकारी के मूल हस्ताक्षर करा दिये गये है।
6	प्रस्ताव के पृष्ठ–90 पर संलग्न एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न एन0पी0वी0 वचनबद्धता प्रमाण पत्र को प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।

7	प्रस्ताव के साथ एन0एच0ए0आई0 तथा रेलवे की अनापत्ति संलग्न नही है। सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें।	एन0एच0ए0आई0 तथा रेलवे विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है।
8	प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी का प्राधिकार–पत्र संलग्न नही है।	प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी का अधिकार पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
9	ऑनलाइन पार्ट–3 पर सक्षम अधिकारी मुख्य वन संरक्षक द्वारा संस्तुति अंकित कर हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नही की गयी है। संलग्न करने का कष्ट करें।	मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा ऑनलाइन पार्ट–3 पर संस्तुति कर हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
10	ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–7 पर अंकित सूचना त्रुटिपूर्ण है। आरक्षित वन सीमा से दूरी अंकित कराने का कष्ट करें।	ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–7 पर अंकित सूचना को संशोधित कर आरक्षित वन सीमा से दूरी ऑनलाइन पार्ट–2 में अंकित कर दी गयी है।
11	प्रस्ताव के पृष्ठ–99 पर संलग्न अभिलेख प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।	प्रस्ताव के पृष्ठ–99 पर संलग्न अभिलेख प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
12	उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कर ऑनलाइन पार्ट–1, 2, व 3 की सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कराकर, प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या अपडेट कराकर, विषय सूची को भी अपडेट कराने का कष्ट करें।	ऑनलाइन पार्ट–1, 2, व 3 की सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या एवं विषय सूची अपडेट कर दी गयी है।

संलग्नकः–यथोपरि

भवदीय

(ओ0पी0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानकी वन प्रभाग कानपुर को उनके उपरोक्त पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– परियोजना प्रबन्धक (निर्माण इकाई) उ0प्र0 जल निगम घाटमपुर कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ओ0पी0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

osc:spcial/ Letter Sept. 2018

भाग–iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। — नहीं

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। — हॉ

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। — कार्य की महत्ता के दृष्टिगत सहमति व्यक्त की जाती है

दिनॉक– 31-01-2018

स्थान– कानपुर

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर